

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर  
पत्रांक- 807 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, सितम्बर 26 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उ०प्र० लखनऊ ।

विषय- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस० एच०-79) के कि० मी० 14 से 15 के मध्य दायीं पटरी पर गाटा संख्या-908 / ग्राम-कोन्वहलिया, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक अवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/१२/२०२३/एफ०सी०/३३७/ दिनांक 05.09.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र सं० 637/11-सी/एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 06-09-2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गई आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया ने अपने पत्र सं० 776/2-6 दिनांक 19-09-2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे मूल में संलग्न करते हुये ऑनलाइन सूचना आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

संख्या- /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर  
पत्रांक— / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, सितम्बर 26 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

उ०प्र० लखनऊ ।

विषय— जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस० एच०-79) के कि० मी० 14 से 15 के मध्य दायीं पटरी पर गाटा संख्या-908 / ग्राम-कोन्वहलिया, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक अवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ— भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/१२/२०२३/एफ०सी०/३३७/ दिनांक 05.09.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र सं० 637/11-सी/एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 06-09-2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गई आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया ने अपने पत्र सं० 776/2-6 दिनांक 19-09-2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे मूल में संलग्न करते हुये आनॅलाइन सूचना आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक -उपरोक्तानुसार

भवदीय

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

संख्या- 807 /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर  
पत्रांक- 807 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, सितम्बर 26 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

उ०प्र० लखनऊ ।

विषय- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस० एच०-79) के कि० मी० 14 से 15 के मध्य दायीं पटरी पर गाटा संख्या-908 / ग्राम-कोन्वहलिया, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक अवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०6/12/2023/एफ०सी०/337/ दिनांक 05.09.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र सं० 637/11-सी/एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 06-09-2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गई आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया ने अपने पत्र सं० 776/2-6 दिनांक 19-09-2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे मूल में संलग्न करते हुये आनॅलाइन सूचना आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक -उपरोक्तानुसार

भवदीय

(भीमि सेन)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

संख्या- 807 /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(भीमि सेन)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक 776 / 2-6 देवरिया, दिनांक, सितम्बर 19 / 2023  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल,  
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एसओएच-79) के कि०मी० 14 से 15 के मध्य दांयी पट्टी पर गाटा संख्या-908/ग्राम-कोन्वहलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 08 कृषो/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या-8 बी/यू०पी०/06/12/ 2023/एफ०सी०/ 337 दिनांक 05.09.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-637/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/ 2021 दिनांक 06.09.2023।

महोदय,  
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	प्राधिकारी का नाम जिसके आदेशों का उल्लंघन किया गया है।	इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बिना स्वीकृति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है।
2	उल्लंघन न रोक पाने पर वन विभाग के अधिकारियों की गयी कार्यवाही।	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा बिना अनुमति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिस पर विभागीय रेंज केस सं०-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा जारी करते हुए कार्यवाही की गयी है तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है।
3	क्या वन भूमि का अनाधिकृत उपयोग रोक दिया गया है।	वन भूमि का अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगा दिया गया है तथा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर जारी एच-2 केस सं०-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 केस जारी करते हुए मु० 40,000.00 मात्र की धनराशि प्रतिकर के रूप में धनराशि ई-3 सं०-12943/41 दिनांक 01.06.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है।
4	उल्लंघन का संज्ञान/स्वीकृति लेते हुए एच०पी०सी०एल० ने क्या कार्यवाही शुरू की है।	प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग (उल्लंघन) के आरोप में जारी एच-2 केस के अनुपालन में जुर्माना/प्रतिकर की धनराशि मु० 40,000.00 जमा की गयी है, तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० जमा करने हेतु बचनबद्धता दी गयी है।

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में वन विभाग द्वारा उल्लंघन रोकने के लिये एच-2 केस इजरा किया गया है तथा प्रतिकर की धनराशि जमा कराकर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति अपेक्षित है कृपया वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें।

भवदीय

R. J. Singh  
(जगदीश आर)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

निदेश

मुख्य वन संरक्षक  
20-09-2023

1543  
2-6  
20-09-2023



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcofrolko@gmail.com

दिनांक: 06.09.2023

पत्र सं. 801/सू0पी0/06/12/2023/एफ.सी./337

रोष में

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/OTHERS/145661/2021

विषय: जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि0 द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि.मी0 नं0-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो0-कचनपुर, तहसील व जिला देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित जंगली क्षेत्रों में गैरवाणिज्यिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 300/11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांक: 02.08.2023।

महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-388/81-2-2022-800(403)/2022, दिनांक 12.01.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 09.02.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रकरण में विचारोत्पन्नता पूर्ण यह सुनिश्चित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराए जायें। प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. Name of authority on whose orders violation has been committed.
2. Action taken against the officials of forest department for not being able to prevent violation.
3. Whether unauthorized use of forest land has been stopped?
4. Taking cognizance/acceptance of violation, what action HPCL has initiated?

भवदीय,

(डॉ0 प्रणय मिश्रा)  
सहायक वन महानिरीक्षक (क्षेत्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
5. उप-महाप्रबंधक(रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि0, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

निहित

मू0प्र सं0  
1306/सू0पी0/06/12/2023  
1362  
2-6  
13-9-23

पत्रांक - 748/2-6 दि0- 20-09-2023 (डॉ0 प्रणय मिश्रा)

प्रतिलिपि: प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग देवरिया को इस संकेत के साथ प्रेषित कि डाले गये बिन्दुओं पर आरम्भ तत्काल उपलब्ध कराए जायें ताकि आवश्यक दस्तावेज को भेजा जाय।

0/L

डॉ0 प्रणय मिश्रा  
सहायक वन महानिरीक्षक (क्षेत्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 634 /11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर ०६, 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।